बइजलास श्री लहरी कुमार जैन (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या : दावा 338/14 निर्णय दिनांक : 22/3/17

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा (राजस्थान) भूमिधारी

—वादी

बनाम्

1. पारस कुमार जैन पुत्र मोहन लाल जैन निवासी कनवास तहसील सांगोद जिला कोटा (राजस्थान)
2. कर्णसिंह आ0 मेहताब सिंह कौम जाट निवासी पलवल जिला फरीदाबाद (हरियाणा)

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 60, 177क आर टी एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा (राजस्थान) भूमिधारी द्वारा एक वाद पेश कर निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त आराजी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा की खसरा नंबर 2208 की रकबा 1.30 हैक्टर व खसरा नंबर 2208/2284 की रकबा 1.13 हैक्टर स्थित है।

यह कि ग्राम कनवास स्थित अरु नदी के नाम से पुरातन नदी स्थित है, जिसके बहाव क्षेत्र में खसरा नं0 2061 रकबा 0.95 हैक्टर, खसरा नं0 2064 रकबा 0.90 हैक्टर गै0मु0नाला सिवायक चक एवं खसरा न0 2208 की रकबा 1.30 हैक्टर व खसरा नं0 2208/2284 की रकबा 1.13 हैक्टर प्रतिवादी कम 1 व 2 की की खातेदारी भूमि में से होकर जाता है। उक्त भूमि की मौका स्थिति गै0मु0 नाला नदी के रुप में मौके पर स्थित है।

यह कि प्रतिवादी सं0 1 द्वारा उक्त कृषि भूमि में बिना किसी सक्षम स्वीकृति के कृषि भिन्न प्रयोजन के उद्देश्य से मिट्टी डलवा कर उक्त डूब क्षेत्र भूमि का स्वरुप बदलते हुए भूखण्ड काटकर नक्शे में दर्शित लाल स्थान पर पक्की दीवारों का निर्माण बावजूद पाबन्द किये जाने के बाद भी किया जा रहा है। मौका स्थिति अनुसार उक्त दीवार का निर्माण भू सुधार की क्षेणी में नहीं अब्दुल रहमान बनाम सरकार के प्रकरण के समान डूब क्षेत्र एवं बहाव क्षेत्र को अवरुद्ध करने की क्षेणी में आता है तथा उसमें अकृषि कार्य कर परिवर्तन किये जाने की कोशिश की जा रही है। जो नियमों के विपरीत है।

यह कि उक्त भूमि की मौका स्थिति नदी एवं नाले के अनुरुप होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत वर्णित भूमि की श्रेणी में आती है। जिस पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 को प्राप्त खातेदारी अधिकार स्वतः ही सार्वजनिक हित में निरस्तनीय है।

यह कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा मुताबिक खसरा गिरदावरी उक्त भूमि पर 7 वर्ष की अवधि में किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जाना दृष्टिगत होता है। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा वर्णित भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 60

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

नम्बर 2061/0.95, 2064/0.90, गै0 मु0 नाला सिवायचक ...

के प्रावधानों के अनुरुप कृषि अधिकारों का परित्याग कर दिया गया है। लिहाजा भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 के खातेदारी अधिकार समाप्त कर राजकीय घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

यह कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर कृषि से भिन्न कार्य कर मौके की स्थिति एवं भूमि के स्वरुप में अपूरणीय परिवर्तन किया गया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 क के तहत हानिप्रद कार्य की श्रेणी में आता है। अतः प्रतिवादी सं0 1 व 2 को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर राजकीय घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

यह कि प्रश्नगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त भूमि अब्दुल रहमान बनाम सरकार के मामले के अनुरुप है जिस पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 के खातेदारी अधिकार समाप्त किया जाना अति आवश्यक है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गयी। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से जवाब दावा मय वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी कम 2 की ओर वकालत नामा प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी कम 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अतः एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी कम 1 ने जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम कनवास की खसरा नं0 2208/2284 की रकबा 1.13 हैक्टर हमारे खाते की है तथा जिसमें हमें कृषि सुधार करने का अधिकार है। मेरे द्वारा अपनी भूमि में निरन्तर कृषि की जा रही है व नकल खसरा गिरदावरी संवत 2050–55 व 2062–65 से प्रमाणित है। उक्त मामले में धारा 60 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। मेरे द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कृषि से भिन्न किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है तथा न ही भूमि के स्वरुप में कोई परिवर्तन किया गया है तथा न ही धारा 177क के तहत मेरे द्वारा किसी तरह से कोई हानिप्रद कार्य किया गया है। असंगत प्रकरण में वर्णित अब्दुल रहमान सरकार के उक्त मामले में कतई लागू नहीं होता है। अतः उक्त असंगत मामले के अनुरुप प्रतिवादी के खातेधारी अधिकारी समाप्त किया जाना न्याय संगत नहीं है। प्रतिवादी कम 1 ने अपने जवाब दावे की विशेष आपत्तियों में भी इन्हीं तथ्यों को दोहराया है।

न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु तहसीलदार कनवास से मौका स्थिति की रिपोर्ट मय नक्शे के मंगवाई गई। जो प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

तनकीयात कायम की गई। बहस वादी व प्रतिवादी कम 1 सुनी गई। वादी की ओर से पेरोकार सरकार ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराया तथा अपनी मौका रिपोर्ट अनुसार नदी से प्रभावित क्षेत्र को सिवाय चक गै0मु0नदी दर्ज किये जाने का निवेदन किया तथा वर्तमान में भूमि मौके पर पडत व खाली होना बताया एवं इस भूमि पर किसी भी प्रकार की दीवार का निर्माण न होना बताया तथा नदी से अप्रभावित शेष भूमि में खातेदार द्वारा विकास संबंधी कार्य किये जाने में कोई आपत्ती न होना बताया। प्रतिवादी कम 1 के वकील ने जवाबदावे के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि हमारे खाते की है तथा हमारे कब्जे काश्त में है। यह भूमि हमारे द्वारा कय की गई है तब से हम वर्तमान मौका स्थिति अनुसार ही काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । हमारे द्वारा हमारे खाते की भूमि की उपजाऊ मिट्टी के कटाव व बहाव

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

को रोकने के लिये अपनी खातेदारी भूमि में रिटर्निंग दीवार बनाई जा रही थी, जिसे भी वादी के मना किये जाने पर हमारे द्वारा कार्य बन्द कर दिया गया है, वर्तमान में मौके पर किसी भी प्रकार की दीवार बनी हुई नहीं है, हमारे खाते की भूमि जिसको हम मौके पर काश्त कर रहे है उसका नदी के बहाव क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। हमारे द्वारा किसी प्रकार से कृषि से भिन्न प्रयोजन से भूमि के स्वरुप को बदल कर कोई भूखण्ड नहीं काटे गये हैं न ही विक्रय किये गये हैं। हमारी जानकारी में यह तथ्य नहीं था कि हमारी भूमि का कोई भू भाग नदी नाले से प्रभावित है। वर्तमान में न्यायालय द्वारा मंगवाई गई मौका स्थिति के कम में प्राप्त रिपोर्ट मय नक्शे को देखने पर हमारी जानकारी में यह तथ्य आया कि हमारे खाते की आराजी में से 0.19 हैक्टर भूमि नदी नाले से प्रभावित है। अतः हम स्वेच्छा से नदी नाले से प्रभावित 0.19 हैक्टर भूमि के विपरीत 0.20 हैक्टर भूमि राजस्थान सरकार को समर्पित करते है व इस भूमि को राजकीय सिवाय चक गै0मु0 नदी दर्ज किये जाने में हमें कोई आपत्ती नहीं है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा दावे, जवाबदावे, प्रस्तुत रेकार्ड, मौका रिपोर्ट व उसके साथ प्राप्त नक्शे, प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.03.2017 का भलीभांति अवलोकन किया तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 की बहस पर मनन किया जाकर प्रत्येक तनकीयात का विनिश्चय किया गया, जो निम्नानुसार है :–

तनकी नं0 1 –आया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा की खसरा नंबर 2208 की रकबा 1.30 हैक्टर व खसरा नंबर 2208/2284 की रकबा 1.13 हैक्टर भूमि की मौका स्थिति गै0मु0 नाला नदी के रुप में मौके पर स्थित है।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय नक्शे से यह प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजी ख0नं0 2208 रकबा 1.30 हैक्टर की सम्पूर्ण भूमि नदी नाले से प्रभावित होना बताया गया है तथा ख0नं0 2208/2284 रकबा 1.13 हैक्टर में से 0.19 हैक्टर भूमि नदी से प्रभावित होना बताया गया है, शेष 0.94 हैक्टर भूमि नदी नाले से अप्रभावित होना बताया गया है। जिसे प्रतिवादी कम 1 ने भी स्वीकार किया है। अतः यह तनकी आंशिक रुप से वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2 – आया कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी कम 1 द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के कृषि भिन्न प्रयोजन के उद्देश्य से मिट्टी डलवा कर उक्त डूब क्षेत्र भूमि का स्वरुप बदलते हुए भूखण्ड काटकर नक्शे में दर्शित लाल स्थान पर पक्की दीवारों का निर्माण बावजूद पाबन्द किये जाने के बाद भी किया जा रहा है।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार भी वादी पर है। वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज, साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे कि यह प्रमाणित होता हो कि प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी पर मिट्टी डलवाकर उक्त डूब क्षेत्र भूमि का स्वरुप बदलते हुए भूखण्ड काट कर पक्की दीवारों का निर्माण बावजूद पाबंद किये जाने के बाद भी किया जा रहा है, वादी के पेरोकार ने अपनी बहस में वर्तमान में मौके पर कोई दीवार न होना बताया गया है तथा मौके पर भूमि पडत व खाली पडी होना बताया है। प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में यह स्वीकार किया है कि हमारे द्वारा भूमि की उपजाऊ मिट्टी के कटाव

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

व बहाव को रोकने के लिये अपनी खातेदारी भूमि में रिटर्निंग दीवार बनाई जा रही है, जो खाते की भूमि में बनाई जा रही है जिसका नदी के बहाव क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। हमारे द्वारा किसी प्रकार से कृषि से भिन्न प्रयोजन से भूमि के स्वरुप को बदल कर कोई भूखण्ड नहीं काटे गये हैं न ही विक्रय किये गये हैं। बहस में वकील प्रतिवादी कम 1 ने उक्त तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि हमने वादग्रस्त भूमि में न ही कोई प्लॉट काटे हैं न बेचे हैं तथा न ही वादी के मना करने के बाद दीवार का निर्माण करवाया है। इस प्रकार वादी इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः यह तनकी वादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3 – भूमि की मौका स्थिति नदी एवं नाले के अनुरुप होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत वर्णित भूमि की श्रेणी में आती है।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार भी वादी पर है। वादी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व नक्शा अनुसार ग्राम कनवास की आराजी ख0नं0 2208 रकबा 1.30 हैक्टर पूर्णतया नदी नाले से प्रभावित होना तथा ख0नं0 2208/2284 रकबा 1.13 हैक्टर में से 0.19 हैक्टर नदी नाले से प्रभावित होना स्पष्ट है। प्रतिवादी कम 1 ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए अपने खाते की आराजी में से 0.20 हैक्टर भूमि नदी नाले से प्रभावित मानते हुए राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पण कर दी है। अतः यह तनकी आंशिक रुप से उपरोक्तनुसार वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4 – आया कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर सात वर्ष की अवधि में किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया गया है।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार भी वादी पर है। वादी द्वारा अपने इस कथन की पुष्टि में नकल खसरा गिरदावरी संवत 2066–69 की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार ग्राम कनवास की आराजी ख0नं0 2208 रकबा 1.30 हैक्टर संवत 2066–69 में पडत दर्शायी गई है एवं इसी अनुरुप ख0नं0 2208/2284 रकबा 1.13 हैक्टर भी संवत 2066–69 में पडत दर्शायी गई है, इसके अतिरिक्त वादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी अनुसार 4 वर्ष तक भूमि पडत होना प्रमाणित है, 7 वर्ष तक पडत होने का प्रमाणित नहीं है, इसके विपरीत प्रतिवादी सं0 1 द्वारा नकल खसरा गिरदावरी संवत 2050–53 एवं संवत 2062–65 प्रस्तुत की गई है, जिसके अवलोकन से वादग्रस्त आराजी में काश्त होना पाया गया। अतः इस तनकी का निर्णय विरुद्ध वादी किया जाता है।

तनकी नं0 5 – आया कि वादग्रस्त भूमि अब्दुल रहमान बनाम सरकार के मामले के अनुरुप है, जिस पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 के खातेदारी अधिकार समाप्त किया जाना अति आवश्यक है।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार भी वादी पर है। इस तनकी से संबंधित बिन्दु का तनकी सं01 में विवरण अंकित करते हुए विनिश्चयन किया गया है। जिसके अनुसार प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

कम 1 की आंशिक भूमि व प्रतिवादी कम 2 की सम्पूर्ण भूमि नदी नाले से प्रभावित होना स्पष्ट है। अतः तनकी नं0 1 अनुसार इस तनकी का विनिश्चयन किया जाता है।

तनकी नं0 6 – आया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 व 2 की खातेदारी की है।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा इस तनकी को प्रमाणित करने हेतु नकल खसरा गिरदावरी संवत 2050–53 एवं संवत 2062–65 प्रस्तुत की गई है, जिसके कॉलम नं0 5 में प्रतिवादी कम 1 व 2 खातेदार के रुप यमें दर्ज हैं तथा वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2061–64 अनुसार भी प्रतिवादी कम 1 व 2 खातेदार होना प्रमाणित है। अतः इस तनकी का विनिश्चयन प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

उपरोक्तानुसार वाद पत्र, जवाबदावा व प्रस्तुत रेकार्ड तथा तनकीयात के विनिश्चयन के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम कनवास की आराजी ख0नं0 2208 रकबा 1.30 हैक्टर व ख0नं0 2208/2284 रकबा 1.13 हैक्टर में से 0.19 हैक्टर नदी नाले से प्रभावित है। प्रतिवादी कम 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 01.03.2017 से 0.20 हैक्टर भूमि स्वेच्दा से समर्पण किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः हम ग्राम कनवास की आराजी ख0नं0 2208 रकबा 1.30 हैक्टर व ख0नं0 2208/2284 रकबा 1.13 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर नदी नाले से प्रभावित होने से राजहित में मानते हुए सिवाय चक गै0मु0 नदी के नाम दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वाद वादी आंशिक रुप से स्वीकार कर ग्राम कनवास की आराजी ख0नं0 2208 रकबा 1.30 हैक्टर व ख0नं0 2208/2284 रकबा 1.13 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर पर स्थित खातेदारों के खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुए सिवाय चक दर्ज करने व किस्म गै0मु0 नदी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, शेष भूमि ख0नं0 2208/2284 रकबा 0.93 हैक्टर पूर्ववत खातेदार के खातेदारी अधिकार में रहेगी। प्रतिवादी कम 1 इस खातेदारी में रही भूमि में विकास कार्य को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही कर सकेगा।

निर्णय आज दिंनाक 22.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लहरी कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास